न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:— 15.03.2022

मुकदमा नं0 38 / 2022
पीठासीन अधिकारी :— अनूपसिंह
R.A.S.

1. फूलसिंह
2. रामेश्वर
3. वीरसिंह

पिसरान रतन जाति गुर्जर निवासी चिरमोली का पुरा बाई पास हनुमानजी के पीछे हिण्डौन जिला करौली ———— सायलान

बनाम

1. निहालसिंह पुत्र रतन जाति गुर्जर निवासी चिरमोली का पुरा बाई पास हनुमानजी के पीछे हिण्डौन
2. लोकेश पुत्र निहालसिंह नावालिग जरिये पिता निहालसिंह जाति गुर्जर निवासी चिरमोली का पुरा हिण्डौन
3. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट सायलाान
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं01 व 2

निर्णय

दिनांक :— 29-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त मुकदमा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा उक्त उनवानी इस अदालत में पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2636 रकबा 0.15 है0, 2753 रकबा 0.22 है0, 2754 रकबा 0.14 है0, 2755 रकबा 0.38 है0, 2756 रकबा 0.76 है0, 2757/10067 रकबा 0.30 है0, 2769 रकबा 0.26 है0, 2773/10068 रकबा 0.27 है0, 2774 रकबा 0.23 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन है। जिसमें सायलान तथा गैरसायल सं01 1/5,1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात भूमि में हरीसिंह पुत्र रतन जाति गुर्जर निवासी चिरमोली का पुरा हिण्डौन भी 1/5 हिस्सेदार खातेदार था जो कि दिनांक 26.02.2022 को लाऔलाद फौत हो गया तथा हरीसिंह की पत्नि शादी के बाद करीब 50 साल पूर्व ही खत्म हो गयी थी। हरीसिंह के कोई सन्तान नहीं थी। हरीसिंह के लीगल वारिसान सायलान व गैरसायल सं01 है, जो कि हरीसिंह के सगे भाई है, जो कि उसके तर्के पर काबिज हैं तथा लीगल वारिसान होने के कारण उसके हिस्से 1/5 की भूमि की अपने नाम घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सायलान की उक्त आराजीयात भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, बाहमी तौर पर बंटवारा हो गया है, जिसका गैरसायल सं01 व 2 नाजायज फायदा उठाकर सायलान की उक्त भूमि की डौल मेंढ को तोडकर हैरान व परेशान करते हैं तथा सायलान के उपयोग उपभोग में बाधा डालते हैं। गैरसायल सं01 व 2 बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, जो कि मृतक हरीसिंह पुत्र रतन गुर्जर निवासी चिरमोली का पुरा की उक्त समस्त 1/5 हिस्से की भूमि को फर्जीबाडा करके अपने नाम करवाना चाहते हैं अर्थात गैरसायल सं01 व 2 ने सायलान को परेशान कर रखा है, जबकि सायलान ने गैरसायल सं01 व 2 को समझाया कि हम तहसील में चलकर इसका लीगल बंटवारा करवा कर अपने नाम खातेदारी करवा लें लेकिन गैरसायल सं01 व 2 नहीं माने और कहने लगे कि हम उक्त समस्त हरीसिंह की भूमि को मेरे नाम करवा कर रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि दिनांक 10.03.2022 को सायलान ने गांव के पंच पटैलान गणमान्य व्यक्तियों की पंचायत बुलायी, जिसमें सायलान व गणमान्य व्यक्तियों ने गैरसायल सं01 को काफी समझाया कि भाई हरीसिंह तुम्हारा अकेले का भाई नहीं था, तुम सभी का भाई था, इस कारण तुम चारों का अधिकार हरीसिंह के हिस्से की भूमि पर बनता है और आप चारों भाई हरीसिंह की 1/5 हिस्से की भूमि को बराबर में बांट लो लेकिन गैरसायल सं01 व 2 नहीं माने और पांच आदमियों में कहने लगे कि हम उक्त हरीसिंह के हिस्से की भूमि को अकेले ही लेकर रहेंगे।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि इस प्रकार गैरसायल सं01 व 2 अपने मंसूबों में कामयाब रहे तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी.आई. पाबन्द किया जाना आवश्यक है, यदि पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैंसला दावा इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह दौराने दावा गैरसायलान सायलान को आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 2636 रकबा 0.15 है0, 2753 रकबा 0.22 है0, 2754 रकबा 0.14 है0, 2755 रकबा 0.38 है0, 2756 रकबा 0.76 है0, 2757/10067 रकबा 0.30 है0, 2769 रकबा 0.26 है0, 2773/10068 रकबा 0.27 है0, 2774 रकबा 0.23 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन गैरसायल सं01 व 2 सायलान को उनके हिस्से की भूमि को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें, उपयोग उपभोग में बाधा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं डालें तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति पहुँचती हो। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। बिना विधिक बंटवारा रहन वय नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाद तामील गैरसायल नं01 व 2 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा पत्रावली वास्ते जबाव दिनांक 07.06.2022 नीयत की गई, दिनांक 07.07.2022 से आगामी तारीख वास्ते जबाव हेतु दिनांक 07.07.2022 नीयत की गई तथा दिनांक 07.07.2022 को भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर आगामी तारीख 22.08.2022 नीयत की गई तथा दिनांक 22.08.2022 को जनरल तारीख 04.11.2022 नीयत की गई तथा दिनांक 07.09.2022 को शीघ्र सुनवाई का वकील गैरसायल सं01 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश होने पर सायलान की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 19.09.2022 को दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनने के पश्चात शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में आगामी तारीख 23.09.2022 नियत की गई।

दिनांक 23.09.2022 को भी गैरसायलान की ओर से कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया बल्कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। जिस पर दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है तथा गैरसायल सं01 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अवगत कराया कि मृतक हरीसिंह पुत्र रतन लाऔलाद फौत नहीं हुआ है। बल्कि हरीसिंह ने गैरसायल सं02 लोकेश पुत्र निहालसिंह को गोद ले लिया था और उक्त गोद पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुल चुका है तथा सायलान एवं गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार का संयुक्त खातेदारी के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है, इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जा सकता। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2636 रकबा 0.15 है0, 2753 रकबा 0.22 है0, 2754 रकबा 0.14 है0, 2755 रकबा 0.38 है0, 2756 रकबा 0.76 है0, 2757/10067 रकबा 0.30 है0, 2769 रकबा 0.26 है0, 2773/10068 रकबा 0.27 है0, 2774 रकबा 0.23 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी निहालसिंह पुत्र रतन हि0 1/5, फूलसिंह पुत्र रतन हि0 1/5, रामेश्वर पुत्र रतन हि0 1/5, वीरसिंह पुत्र रतन हि0 1/5, हरिसिंह पुत्र रतन हि0 1/5 जातियान गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2636 रकबा 0.15 है0, 2753 रकबा 0.22 है0, 2754 रकबा 0.14 है0, 2755 रकबा 0.38 है0, 2756 रकबा 0.76 है0, 2757/10067 रकबा 0.30 है0, 2769 रकबा 0.26 है0, 2773/10068 रकबा 0.27 है0, 2774 रकबा 0.23 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायलान हिस्सा 3/5 एवं गैरसायल सं01 हिस्सा 1/5 एवं खातेदार हरिसिंह मृतक हिस्सा 1/5 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। निहालसिंह पुत्र रतन हि0 1/5, फूलसिंह पुत्र रतन हि0 1/5, रामेश्वर पुत्र रतन हि0 1/5, वीरसिंह पुत्र रतन हि0 1/5, हरिसिंह पुत्र रतन हि0 1/5 जातियान गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा वकील गैरसायल सं01 व 2 का तर्क है कि रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार का संयुक्त खातेदारी के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है, इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी, सुविधा का सन्तुलन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 2636 रकबा 0.15 है0, 2753 रकबा 0.22 है0, 2754 रकबा 0.14 है0, 2755 रकबा 0.38 है0, 2756 रकबा 0.76 है0, 2757/10067 रकबा 0.30 है0, 2769 रकबा 0.26 है0, 2773/10068 रकबा 0.27 है0, 2774 रकबा 0.23 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 15.03.2022 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2636 रकबा 0.15 है0, 2753 रकबा 0.22 है0, 2754 रकबा 0.14 है0, 2755 रकबा 0.38 है0, 2756 रकबा 0.76 है0, 2757/10067 रकबा 0.30 है0, 2769 रकबा 0.26 है0, 2773/10068 रकबा 0.27 है0, 2774 रकबा 0.23 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन के बाबत् जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 29-9-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली